

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आरटीएस)

मि.न.- 10 / 18

दिनांक 9.4.18

सरकार बनाम पूरण वगै०

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारिक पुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली के ख० न० 188/0.05 है० किस्म जमीन गै० मु० श्मशान पर पूरण,कैलाश, लालचन्द पुत्रान महादेव जाति अहीर निवासी द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर उक्त भूमि में से 0.025पर ,ईधन डालकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचना प्रान्त गैर सायलान उपस्थित नही आये । अत गैर सायलान के विरुद एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित है ।

अतः गैरसायलान पूरण , कैलाश, लालचन्द पुत्रान महादेव जाति अहीर निवासी द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली के ख० न० 188/0.05 है० में से 0.025पर किस्म जमीन गै० मु० श्मशान पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर से,ईधन को हटवाया जाकर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी का पचास गुणा $0.25 \times 50 = 12.5$ अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार फसल निलामि, बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु वसुली हेतु भू० अ० नि० व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 9.4.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2018 0.19... के शा० न०
पृष्ठ संख्या 107 पर 125
पत्रावली पेश किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली